

16/11/25

पत्रांक पेश हुई। मूल दावा अदम्य देवी अदम्य
हाजिरी में खारिज किया जा चुका है। अतः
आप पत्र 212 आदि का कोई औचित्य नहीं
है। अतः पत्रांक इसी स्तर पर खारिज की
जाती है। पत्रांक फ़ैसल शुमार होकर
दारिबल दफ़्तर हो।

